UPHR010035872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1595/2026

अमित पुत्र मधुरपाल, निवासी ग्राम गोंधाई मजरा नयागांव, थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई। ----------------------------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------------------------------- विपक्षी।

दिनांकः 01.06.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अमित की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–145/2026, अन्तर्गत धारा–305(C), 317(2) बी०एन०एस०, थाना–सुरसा, जनपद–हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में मधुरपाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा साधना की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 18.04.2026 को वादिनी मुकदमा बिलग्राम अपनी रिश्तेदारी में चुटिया कार्यक्रम से अपने घर वापस आ रही थी। दोपहर करीब 03.00 बजे ढोलिया फार्म के पास उसके बच्चे पेशाब करने के लिए रूके थे। वह भी अपने बच्चों को पेशान कराने रूकी थी। उसका बैग गाड़ी पर रखा था। दो अज्ञात व्यक्ति आकर रूके और उससे रास्ता पूछा। चोरी से उसके बैग में रखा हुआ उसका एक कान का सोने का एक झाला चोरी कर लिया। दोनों व्यक्ति पल्सर गाड़ी से थे। जब वह पेशाब कराके वापस आई, अपना बैग देखा तो उसके कान का एक झाला गायब था और वो दोनों व्यक्ति पल्सर गाड़ी से भाग रहे थे।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसको उसके घर से थाना साण्डी की पुलिस पकड़कर ले गयी और थाने में उसका मोबाइल फोन व 500/– नगद ले लिए और थाने में बन्द रखने के बाद फर्जी बरामदगी दिखाकर अज्ञात मुकदमें में व फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखाकर चालान कर दिया गया है। थाना साण्डी की पुलिस द्वारा एक अन्य चोरी के अज्ञात मुकदमें में थाना सुरसा

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.06.01 16:27:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का भी अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस द्वारा भट्ठे पास पकड़ना कहा गया है और भट्ठे पर बराबर कई कर्मचारी मौजूद रहते है। फिर भी जनता का कोई साक्षी न बनना घटना को झुठलाता है। उसका पूर्व का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद नहीं है। उसके विरूद्ध अभियोग है कि उसने सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के एक कान के सोने के झाला की चोरी की। विवेचना के अनुक्रम में पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो सह अभियुक्त के कब्जे से इस प्रकरण से संबंधित एक पीली धातु का सोने का झाला की बरामदगी होनी गयी है, किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

8. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध की प्रकृति एवं उसमें प्रावधानित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अमित** का जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः 01.06.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।